ले.प.प्रति.सं.-03/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के माह **04/2014** से **04/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री **ललित थपलियाल,** व श्री **पवन कोठारी**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **रवीन्द्र जयंत**, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **09.05.2018** से **18.05.2018** तक श्री **आर.एस. नेगी-I**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक-यह कार्यालय की प्रथमलेखा परीक्षा है।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2014** से **04/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **समस्त उत्तराखण्ड**

(ii)(अ)विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**आधिक्य(+)**	**बचत(-)**
	स्थापना	**गैरस्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	119	102.09	191.78	185.09		23.6
2016-17	-	-	275.97	275.97	256.7	219.2		37.5
2017-18	-	-	146.23	146.13	519.21	490.34		28.97
2018-19 (अप्रैल 2018 तक)	-	-	190.64	33.63	1404.8	5.27		1556.54

(ब)Autonomous Bodiesविगत तीन वर्षों बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः **<u>निरंक।</u>**

(स)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणनिम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	प्राप्त	व्ययआधिक्य(+)	बचत(-)
.....शून्य.....					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "**बी**" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

अध्यक्ष
सचिव
अनु सचिव
समीक्षा अधिकारी

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र <u>एवंलेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून**</u> की लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन एवं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **<u>कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून</u>** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017**,** 03/2017 एवं 02/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II अ</u>

<u>प्रस्तर 1:</u> सेवा निवृत्ति की आयु पूर्ण करने की तिथि के उपरांत भी सेवा -विस्तार का लाभ दिये जाने पर वेतन, भत्तों पर ₹34.87 लाख का व्यय

उत्तराखंड शासन के शासनादेश (18 सितंबर 2014) के द्वारा श्री दीवान सिंह भैंसोड़ा को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सदस्य नियुक्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी हुई, जिसके तारतम्य में श्री भैंसोड़ा जी द्वारा दिनाँक 30 सितंबर 2014 को आयोग के सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । श्री भैंसोड़ा जी की नियुक्ति उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 (18 सितंबर 2014) की धारा-7 के अधीन की गयी। अधिनियम के अनुसार कोई सदस्य जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी हैं, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात या 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

आयोग के अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि आयोग में पदस्थ माननीय सदस्य श्री दीवान सिंह भैंसोड़ा जी ने दिनाँक 01.02.2015 को 65 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति आयु पूर्ण कर ली थी। अभिलेखों की जाँच में आगे यह भी पाया गया कि उत्तराखंड शासन के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के शासनादेश (27 मार्च 2015) के द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम 2015 लागू हुआ, जिसमे आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की सेवा निवृत्ति आयु 68 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा। इसशासनादेश को दिनाँक 01 फरवरी 2015 से प्रवृत हुआ समझा जायेगा। शासनादेश शासन से दिनाँक 10 अप्रैल 2015 को सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्गत किया गया था। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में यह भी देखा गया कि माननीय सदस्य श्री दीवान सिंह भैंसोड़ा जी को अधिनियम 2014 में दिये गए प्रावधान के अनुसार 01-02-2015 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर स्वतः ही सेवा निवृत्त किया जाना था परंतु आयोग द्वारा माननीय सदस्य श्री भैंसोड़ा जी को नए अधिनियम जो कि दिनाँक 27 मार्च 2015 से लागू हुआ के तहत सेवा में बनाए रखा एवं वेतन भत्ते व अन्य सुविधा भी दी गयी तथा 68 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दिनाँक 01-02-2018 को सेवानिवृत्त किया गया।

उपरोक्त के संबंध में इंगित करने पर आयोग ने अपने उत्तर में बताया कि मा. सदस्य श्री दीवान सिंह भैंसोड़ा की प्रथम सेवा निवृत्ति तिथि 2 फरवरी, 2015 थी उसके पूर्व ही मा. अध्यक्ष द्वारा तत्समय सदस्यों के कार्य की आवश्यकता व उनके सहयोग को देखते हुए आयु सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिनाँक 09/01/2015 को शासन को प्रेषित किया गया। शासन से इस पर प्रतिक्रिया प्राप्त न होने पर निर्धारित तिथि से श्री भैंसोड़ा जी का वेतन आहरित नहीं किया गया, किन्तु शासन स्तर से समुचित दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण उन्हे सेवानिवृत्त भी नही किया जा सका। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन

आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 1(2) में अधिनियम को 01/02/2015 से प्रभावी माना गया है। इसके बावजूद शासनादेश दिनाँक 10/12/2015 के द्वारा माननीय सदस्य श्री भैंसोड़ा जी के द्वारा दिनाँक 1 फरवरी, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक सदस्य के रूप में किए गए कार्यों की निरंतरता की अनुमति मिलने के बाद ही वेतन आहरण की कार्यवाही की गयी। मा. सदस्य को पुनर्नियुक्ति/ नई नियुक्ति नहीं दी गयी अपितु उनकी सदस्य के रूप में की गयी सेवाओं की निरंतरता की अनुमति शासनादेश दिनाँक 10/12/2015 से जारी हुई।

आयोग का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके दी गयी, जिसमे सदस्य की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष या 6 वर्ष बताई गयी है। इस अधिनियम के अनुसार मा. सदस्य श्री भैंसोड़ा जी की सेवा निवृत्ति आयु 02 फरवरी 2015 थी। अतः 02 फरवरी 2015 से श्री भैंसोड़ा जी को सेवा निवृत्त न करके श्री भैंसोड़ा जी को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधित) अधिनियम 2015 की धारा 1(2) का लाभ दिया गया जो कि दिनाँक 27 मार्च 2015 से लागू हुआ था। कोई भी शासनादेश/आदेश/अधिनियम उसके जारी होने कि तिथि से लागू किया जाना औचित्यपूर्ण है न कि पूर्व-प्रभावी(retrospective) तिथि से।
अतः पूर्व-प्रभावी(retrospective) तिथि से सेवा-विस्तार दिये जाने पर वेतन भत्तों ₹34.87 लाख का व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-II'ब'</u>

<u>प्रस्तरः1-</u> ₹ 954.00 लाख का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

गुप्त व्यय से संबन्धित मामलों में वित्तीय हस्तपुस्तिका लेखानियम खंड 5 भाग 1 के पैरा 206 के अनुसार स्तम्भ 1 के मामलों में दिये गए अनुप्रमाणित अधिकारी प्रत्येक वर्ष में एक बार स्तम्भ 2 में दिये गए अधिकारी द्वारा नियत व्यय का ऑडिट किया जाए तथा निम्न वर्ष जिससे वह संबन्धित है 31 दिसंबर से पूर्व विहित प्रारूप में महालेखाकार को एक प्रमाण पत्र अग्रेषित किया जाए।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक गुप्त सेवा मद में निम्नवत् व्यय किया गया:-

वर्ष	**व्यय धनराशि (₹ लाख)**
2015-16	49.00
2016-17	100.00
2017-18	805.00
योग	**954.00**

उपरोक्त धनराशि के गुप्त सेवा मद में व्यय के सापेक्ष लेखापरीक्षा का प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक गुप्त मद मे प्राप्त धनराशि का नियमानुसार ऑडिट कराने के पश्चात प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार गुप्त व्यय मद में प्राप्त धनराशि का वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II'ब'

प्रस्तरः2- ₹ 6.71 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित) जून 2015 के अध्याय 1 के नियम 3 (10) के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ मे अपेक्षित उच्चतर अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

विभाग की क्रय पत्रावलियों की जांच के दौरान पाया गया कि 15.03.2016 को क्रय समिति द्वारा निम्नलिखित कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय किया गया:-

क्र. सं.	फ़र्म जिससे क्रय किया गया	बिल संख्या/ दिनाँक	व्यय का प्रयोजन	धनराशि
1	M/s Advatech resource, Neshvilla Road, Dehradun	3416/8-3-2016	माननीय अध्यक्ष के प्रयोग हेतु लैपटाप क्रय	49,980
2	-do-	3421/ 11-3-2016	सचिव महोदय के प्रयोग हेतु लैपटाप क्रय	49,875
3	-do-	3427/16-3-2016	माननीय सदस्यगणों एवं कार्यालय प्रयोग हेतु डेस्कटॉप क्रय	2,08,950
4	-do -	3429/16-3-2016	माननीय सदस्यगणों एवं कार्यालय प्रयोग हेतु लैपटाप क्रय	45,544
5	-do-	3428/16-3-2016	माननीय सदस्यगणों एवं कार्यालय प्रयोग हेतु UPS क्रय	25,594
6	M/s Evam Systems, Dehradun	2573/17-3-2016	कार्यालय हेतु प्रिंटर क्रय	75,763
7	MS Advatech resource, Neshvilla Road, Dehradun	3432/16-3-2016	परीक्षा अनुभाग हेतु सर्वर क्रय	2,15,398
योग				**6,71,104**

क्रय पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त सभी सामग्रियाँ मार्च, 2016 में क्रय की गईं। नियमानुसार उपरोक्त समग्रियों को अलग-अलग क्रय न करके एक साथ निविदा प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा न कर विभाग द्वारा कुल सामग्री को विभाजित कर क्रय समिति द्वारा कोटेशन प्रक्रिया द्वारा क्रय किया गया, जोकि उत्तराखंड की नियमावली जून 2015 के निर्देशों का उल्लंघन था।

इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि आयोग कार्यालय में मार्च 2016 में कम्प्युटर/लैपटाप इत्यादि सामग्री क्रय आवश्यकता अनुसार किए गए हैं। वर्ष 2015-16 में कार्यालय प्रारम्भिक अवस्था में था तथा स्टाफ की कमी एवं वित्त एवं लेखा संबंधी कर्मचारी एवं अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पायी थी जिस कारण अधिप्राप्ति नियमों के ज्ञान का अभाव रहा परंतु कार्यालय में समस्त क्रय आवश्यकता अनुसार एवं बाजार सर्वेक्षण के पश्चात कोटशन प्राप्त कर न्यूनतम कोटेशनदाता से क्रय किया गया। भविष्य में क्रय से पूर्व अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली जून 2015 के अनुसार ₹ 3 लाख से अधिक की अधिप्राप्ति हेतु टेंडर प्रणाली अपनानी जानी चाहिए थी। प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः3- ₹ 8.98 लाख वेतन का अधिक भुगतान।

श्री मनोहर सिंह कन्याल दिनाँक 23.03.2015 से सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पद पर नियुक्त हुए। इससे पूर्व श्री कन्याल उत्तराखंड शासन में उप सचिव (ग्रेड वेतन ₹ 7600) के पद पर कार्यरत थे।

श्री कन्याल को सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पद पर ग्रेड वेतन ₹ 7600 (उपसचिव) के अनुसार वेतन अनुमन्य था किन्तु लेखापरीक्षा के दौरान विदित हुआ कि उन्हें संयुक्त सचिव ग्रेड वेतन ₹ 8700 के अनुसार भुगतान किया गया। इस प्रकार श्री कन्याल को उनके कार्यकाल में (मार्च 2015 से मार्च 2017) रू 25.72-16.73= रू 8.99 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने पर उत्तर दिया गया कि श्री मनोहर सिंह कन्याल के वेतन निर्धारण के संबंध में आयोग द्वारा लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है। पत्र संख्या 1441/स्था. -11/(म)/2015, दिनाँक 12/02/2018 के द्वारा वेतन निर्धारण विषयक शासन स्तर पर कार्रवाई करने हेतु लिखा गया है। शीघ्र ही शासन द्वारा अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी जिसके संबंध में आपको वसूली होने के पश्चात अवगत करा दिया जाएगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
प्रथम लेखा परीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखा परीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- **शून्य**

2- सतत् अनियमितताये**:- शून्य**

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री पंकज नैथानी	सचिव	27/11/2014	17/3/2015
2.	श्री आर.सी. पंत	सचिव	18/3/2015	23/3/2015
3.	श्री एम.एस. कन्याल	सचिव	24/3/2015	27/3/2017
4.	श्री एस. राजू	सचिव	28/3/2017	30/3/2017
5.	श्री संतोष बडोनी	सचिव	31/3/2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र